इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2020—श्रावण 30, शक 1942

# भाग ४

#### विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) - कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

एफ 2-5-2020-सात-7

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2020

नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इकतीस), (बत्तीस), (चौंतीस), (पैंतीस), तथा (छत्तीस), के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 140,142,146,147,155 तथा धारा 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्रमांक मई 1961, तथा अधिसूचना 2457-62-सात-ना (नियम). दिनांक 18 3814—2502—सात-ना (नियम), दिनांक 11 अगस्त 1961 द्वारा यथासंशोधित, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 189-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2804—5041—सात—ना (नियम), दिनांक 12 जून, 1961 द्वारा यथासंशोधित, अधिसूचना क्रमांक (नियम) दिनांक 6 जनवरी. 1960 अधिसूचना क्रमांक 190-6477-सात-ना

191—6477—सात—ना (नियम) 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2549—5163—60—सात—ना (नियम) दिनांक 25 जून 1962, द्वारा यथा संशोधित क्रमांक एफ—1—4—सात—शा 8—87 दिनांक 4 जुलाई, 1988, अधिसूचना क्रमांक 192—6477—सात—ना—(नियम) दिनांक 25 जून 1962 अधिसूचना क्रमांक 2545—5163—सात—ना (नियम) दिनांक 26 जून 1962 द्वारा यथा संशोधित क्रमांक 1841—2882—सात—ना दिनांक 2 जून, 1972 अधिसूचना क्रमांक 336—सीआर—742—सात—ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना क्रमांक 194—6477—सात—ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए बनाना प्रस्तावित करती है उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान होने पर विचार किया जाएगा किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव पर जो नियमों के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध का अवसान होने पर पर या उसके पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्राप्त किया जाए, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

#### प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
  - (क) "भूलेख पोर्टल" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल जिसके माध्यम से भू—राजस्व का आनलाइन भुगतान किया जा सकेगा;
  - (ख) ''चालान'' से अभिप्रेत है ऐसा फार्म जो बैंक अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से भू-राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है;
  - (ग) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
  - (घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;
  - (ड़) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
  - (च) ''अनुसूचित बैंक'' से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक ; तथा
  - (छ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा ।
- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हों, तथा संहिता में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो सहिता में उनके लिए दिए गए हों।

- 3. मू-राजस्व के भुगतान की रीति. (1) उप-नियम (2) तथा (7) के अध्यधीन रहते हुए भू-राजस्व का भुगतान निम्न में से किसी रीति से किया जा सकेगा-
  - (क) भूलेख पोर्टल के माध्यम से सरकारी खजाने में सीधे भुगतान करके;
  - (ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुसूचित बैंक के माध्यम से जमा करके,
  - (ग) ग्राम के पटेल को या जहां पटेल नियुक्त नहीं है, हल्के के पटवारी को भुगतान करके; या
  - (घ) सेक्टर के नगर सर्वेक्षक को भुगतान करके।
- (2) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा उप—िनयम (1) में विहित भुगतान की रीतियों में से किसी रीति को बंद कर सकेगी।
- (3) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उप—िनयम (1) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त धन को भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऐसी अवधि के भीतर सरकारी खजाने में जमा करे जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।
- (4) भूलेख पोर्टल के माध्यम से भुगतान के मामले में भुगतान करने वाला व्यक्ति ऑनलाईन चालान भरेगा। उसे ऐसे पोर्टल पर "भू—राजस्व भुगतान" के आइकॉन को क्लिक करना होगा। आनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् प्ररूप—एक में एक इलेक्ट्रोनिक रसीद जनरेट की जाएगी।
- (5) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक को भू-राजस्व का भुगतान किए जाने के मामले में भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्ररूप-दो में, दो प्रतियों में भुगतान की रसीद तैयार करेगा तथा एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी।
- (6) किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में प्ररूप—तीन में तीन प्रतियों में चालान के साथ भुगतान किया जाएगा। धन प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा बैंक की मुद्रायुक्त एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।
- (7) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी वर्ग को भू-राजस्व की ऐसी श्रेणियों का संग्रहण करने के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना हो जाने पर भू-राजस्व की ऐसी श्रेणियों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को किया जाएगा, किसी अन्य रीति में नहीं। भुगतान की रसीद ऐसे प्ररूप में दी जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।

स्पष्टीकरण.— स्थानीय प्राधिकरण से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन स्थापित कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत।

4. मांग की सूचना. — (1) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना प्ररूप—चार में दो प्रतियों में जारी की जाएगी।

- (2) विभिन्न बकायादारों को मांग की सूचना पृथक् –पृथक् जारी की जाएगी।
- (3) ऐसी सूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी और तामील करवाई जाएगी।
  - 5. बकाया के माग के रूप में वसूली योग्य खर्चे. धारा 148 के अधीन बकाया के भाग के रूप में निम्नलिखित दरों से खर्चे वसूले जाएंगें,—
    - (क) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना की तामीली के लिये रुपए एक सौ ; तथा
    - (ख) धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने और प्रवर्तित करने के लिए रुपये पांच सौ।
  - 6. जंगम सम्पत्ति की कुर्की का वारंट .— (1) धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की का प्रत्येक वारंट प्ररूप—पांच में जारी किया जाएगा और यदि उसका विक्रय प्रवर्तित कराया जाना है तो प्ररूप—छह में उद्घोषणा जारी की जाएगी।
  - (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग—दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
  - (3) ऐसे वारंट के अनुपालन में जंगम सम्पत्ति की कुर्की मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग-छह के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
  - 7. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की .— (1) जब धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी), (बी, बी), (बी,बी,बी) अथवा (ग) के अधीन स्थावर सम्पत्ति को कुर्क किया जाना आदेशित हो, वहां प्ररूप—सात में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया जाकर कुर्की की जाएगी।
  - (2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 72 के उप—नियम (2) में विहित रीति में की जाएगी।
  - 8. खाते का पट्टे पर दिया जाना. (1) जहां खाते को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जाना हो वहां प्ररूप—आठ में एक उदघोषणा जारी की जाएगी।
  - (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
  - (3) पट्टे पर दिए जाने की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् प्ररूप-नौ में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।
  - 9. स्थावर सम्पत्ति का विक्रय .- (1) जब स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना हो तो -
    - (क) धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप–दस में; या
    - (ख) धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप–ग्यारह में;

विक्रय के लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी।

- (2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 79 के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।
- 10. विक्रय का प्रमाण पत्र .- (1) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात्, -
  - (क) धारा 147 की उप— धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप—बारह में; या
  - (ख) धारा 147 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में प्ररूप—तेरह में;

विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

- 11. प्रिकेया जब वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध कार्यनाही की जाना है, अन्य जिले में हो .— जब वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध धारा 147 की उप—धारा (1) के खण्ड (बी) अथवा खण्ड (ग) के अधीन कार्यवाही की जाना है, उस जिले से भिन्न जिले में स्थित है, जिसमें बकाया उद्भूत हुआ हो तो उस जिले का कलक्टर उस जिले के कलक्टर के प्रस्ताव पर, जिसमें बकाया उत्पन्न हुए, अपेक्षित आदेशिका, प्रचलित करेगा।
- 12. बैंक खाता या बैंक लॉकर की कुर्की .— (1) जब धारा 147 की उप—धारा (2) के अधीन बैंक खाता या बैंक लॉकर को कुर्क किया जाना आदेशित किया गया हो तो प्ररूप—चौदह में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी कुर्की की जाएगी।
- (2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 56 के उप—नियम (3) में विहित रीति में की जाएगी।
- 13. भू-राजस्व के बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी व पिरिरोध. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 146 की उप—धारा (1) के अधीन जारी की गई मांग की सूचना में ऐसे बकाया के भुगतान के लिए मंजूर की गई अवधि के पश्चात् भी पचास लाख रूपये से अधिक के भू-राजस्व के भुगतान में चूक जारी रखता है तो तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी को तद्नुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगाः

परन्तु जहां ऐसी सूचना के प्रति धारा 146 की उप—धारा (2) के अधीन आपित्त की गई हो वहां तहसीलदार ऐसी आपित्त को विनिश्चित करने के पश्चात्, यदि अपेक्षित हो, तो उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन के लिए, भू-राजस्व के बकाया में सम्मिलित है धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन ।

- (2) उप नियम (1) के अधीन तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने के लिए कि भू-राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए, सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए प्रकप-पंद्रह में सूचना जारी कर सकेगा।
- (3) यदि ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिवस को उपस्थित होने में असफल रहता है और भू-राजस्व के ऐसे बकाया के भुगतान में चूक भी जारी रखता है तो उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उप—धारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्ररूप—सोलह में वारंट जारी कर सकेगा।
- (4) जहां ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी सूचना के पालन में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उप नियम (3) में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में उसके समक्ष लाया जाता है, वहां उपखण्ड अधिकारी उसे यह कारण दर्शाने के लिए एक अवसर देगा कि उसे भू-राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए सिविल कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए।
- (5) उप नियम (4) के अधीन जांच पूर्ण हो जाने पर, उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द करने के लिए आदेश कर सकेगा और प्ररूप-सन्नह में जेल के सुपुर्द करने का वारंट जारी कर सकेगा और उस दशा में, यदि वह पहले से ही गिरफ्तार नहीं है तो उसे गिरफ्तार करवाएगा।
- (6) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सिहत उप-नियम (3) तथा (5) के अधीन गिरफ्तारी को लागू होंगे।
- (7) सिविल कारागार से उन्मोचन का आदेश प्ररूप-अठारह में होगा।
- (8) धारा 147 की उप-धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने पर उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 14. भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन. (1) धारा 155 के अधीन कोई धन भू-राजस्व का बकाया की रीति से वसूल किया जाए, यह विनिश्चित करने वाला सक्षम प्राधिकारी अनुसूची-एक के अनुसार होगा।
- (2) जहां सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि कोई धन धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के बकाया की वसूली की रीति से वसूल किया जाना चाहिये तो वह तहसीलदार

को अथवा ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जिसे कि संहिता के अधीन बकाया वसूल करने के लिए सशक्त किया जाए, लिखित में आवेदन करेगा।

- (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला आवेदन प्ररूप—उन्नीस में होगा और ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी,—
  - (क) सक्षम प्राधिकारी जिसको कि धनराशि देय है ;
  - (ख) देय धनराशि ;
  - (ग) वह व्यक्ति जिससे कि धनराशि देय है ;
  - (घ) विधि का वह उपबंध जिसके अधीन धन राशि भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है;
  - (ड) वह आदेशिका जिसके द्वारा धनराशि वसूल की जा सकेगी;
  - (च) वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेंगी; तथा
  - (छ) यथास्थिति धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) या (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण–पत्र।
- (4) आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करेगा।
- (5) ये नियम ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग को, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा घोषित करे, लागू नहीं होंगे।
- 15. भू-राजस्व में कमी. (1) धारा 161 की उप-धारा (1) के अधीन भू स्वामी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन प्ररूप-बीस में होगा।
- (2) आवेदन प्राप्त होने पर कलक्टर आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता के संबंध में जांच तथा इस प्रकार की गई जांच के परिणामों की तीन मास से अनिधक की कालाविध के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भू—अभिलेख अधीक्षक अथवा सहायक भू—अभिलेख अधीक्षक से अपेक्षा करेगा।
- (3) जबिक धारा 161 की उप—धारा (1) के खण्ड (एक), (दो) अथवा (तीन) में वर्णित आधारों पर राजस्व में कमी चाही गई है वहां वह व्यक्ति जिसे जांच सौंपी गई है, स्थल का निरीक्षण करेगा और ऐसे आंकडे (डाटा) संग्रहीत करेगा जिन्हें कि वह आवेदन के निराकरण के लिए आवश्यक समझे।

(4) उप-नियम (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कलक्टर आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। यदि आवेदक तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि कमी किए जाने का आदेश किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश, उस रकम का उल्लेख करते हुए जिस तक कि खाते का भू-राजस्व कम किया जाना है, अभिलिखित करेगा जो आवेदक को तत्काल संसूचित किया जाएगा। आदेश की एक प्रति अधिकार अभिलेख तथा मांग सूची में पटवारी द्वारा आवश्यक सुधार करवाए जाने के लिए तहसीलदार को भेजी जाएगी:

परन्तु यदि यह कमी एक सौ रूपये से कम है तो ऐसी कमी किए जाने का कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(5) भू-राजस्व की गणना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

# 16. निरसन तथा व्यावृत्ति. - (1) निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं,-

- (क) अधिसूचना क्रमांक 2457–62–सात–ना (नियम) दिनांक 18 मई, 1916 तथा क्रमांक 3814–2502–सात–ना (नियम) दिनांक 11 अगस्त, 1961 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 189–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 140 क अधीन भू–राजस्व के भुगतान के संबंध में बनाए गए नियम;
- (ख) अधिसूचना क्रमांक 190—6477—सात—ना— (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 142 के अंतर्गत भू—राजस्व के भुगतान की रसीद के संबंध में बनाए गए नियम;
- (ग) अधिसूचना क्रमांक 2804–5041–सात–ना–(नियम) दिनांक 12 जून 1961 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1 –4–सात–शा.–8–87 दिनांक 04 जुलाई, 1988, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 191–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 144 के अंतर्गत भू–राजस्व के निलम्बन तथा माफी के संबंध में बनाए गए नियम;
- (घ) अधिसूचना क्रमांक 2549—5163—60—सात—ना (नियम) दिनांक 25 जून, 1962 तथा अधिसूचना क्रमांक 1841—2882—सात—ना—1 दिनांक 02 जून, 1972, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 192—6477—सात—ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 146 तथा 147 के अधीन मांग की सूचना तथा बकाया की वसूली के लिए आदेशिका के संबंध में बनाए गए नियम;

- (ड.) अधिसूचना क्रमांक 2545-5163-सात-ना (नियम) दिनांक 26 जून, 1962 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 336-सी आर-742-सात- ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 155 के अधीन भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन के संबंध में बनाए गए नियम;
- (च) अधिसूचना क्रमांक 194-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा 161 के अंतर्गत राजस्व में कमी के संबंध में बनाए गए नियम,
- (2) ऐसे निरसन से निरसित नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रगाव नहीं पड़ेगा और उसका यह प्रभाव होगा मानों वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

# अनुसूची—एक (नियम 14 देखिए)

# कोई धन भू-राजस्व के बकाया की रीति में वसूल किया जाना चाहिए यह विनिश्चित् करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

अनु.	धन की श्रेणी	सक्षम प्राधिकारी
क्रमांक		
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 155 के खण्ड (क) के अधीन	संहिता के अधीन देय या
	ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा 58 की उप–धारा	उद्ग्रहणीय धन के मामले में,
	(2) के अधीन भू-राजस्व में सिम्मिलित किये गये हैं,	तहसीलदार
	संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति	
	के अधीन देय या उद्ग्रहणीय समस्त लगान,	
	रायल्टी, जल दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम,	
	शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च	अधिनियमिति के अधीन ऐसे
		धन या उद्ग्रहण के भ्गतान
		के लिए आदेश देने वाला
		न्यायालय, प्राधिकारी या
		अधिकारी
2.	धारा 155 के खण्ड (ख) के अधीन	ऐसा अनुदान, पट्टा या
	ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान, पट्टे या	संविदा मंजर करने वाला
	संविदा के, जिसमें यह उपबंध हो कि वे उसी रीति	प्राधिकारी या अधिकारी
	में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि	
	भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, के	
	अधीन राज्य सरकार को शोध्य होते हैं	
3.	धारा 155 के खण्ड (खख) के अधीन	ऐसी प्रत्याभूति मंजूर करने
	किसी प्रत्याभूति—संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई	वाला प्राधिकारी या अधिकारी
	रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत	
	किये गये समस्त धन जिनमें यह उपबंध हो कि वे	
	उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि	
	भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है	

	4	धारा 155 के खण्ड (ग) के अधीन	संहिता के अधीन वसूली
		ऐसी समस्त राशियाँ जिनके बारे में इस संहिता या	योग्य राशियों के मामले में,
		तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह	तहसीलदार
		घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल	किसी अन्य अधिनियमिति के
		योग्य होंगी जिस रीति में कि भू-राजस्व का बकाया	अधीन वसूली योग्य राशियों
		वसूल किया जाता है	के मामले में, ऐसी वसूली का
			आदेश देने वाला न्यायालय,
	•		प्राधिकारी या अधिकारी
	5	धारा 155 के खण्ड (घ) के अधीन	ऐसी विधि के अधीन नियुक्त
		कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र	रजिस्ट्रार
		में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित	
		किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक	
		द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह किसी	
		सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में	
		या समापन के खर्च के रूप में वसूल की जाय	
ſ	6	धारा 155 के खण्ड (ड.) के अधीन	उक्त कार्पीरेशन का प्रबंध
		वह धन जो मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट	संचालक
		कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों	
Γ	7	धारा 155 के खण्ड (च) के अधीन	उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध
		वह धन जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित	संचालक
		तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	
		को देय होते हों	
	8	धारा 155 के खण्ड (छ) के अधीन	उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध
		वह धन जो मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन	संचालक
		लिमिटेड को देय होते हों	
	9	धारा 155 के खण्ड (ज) के अधीन	उक्त सत्ता (ऐंटिटी) का
		वह धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य	मुख्य कार्यपालक, चाहे वह
		सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता (ऐंटिटी) जो कि	किसी भी नाम से जाना
		इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए	जाता हो
		को देय होते हों	
	ابينسب		

# **प्ररूप --एक** (नियम 3 (4) देखिए)

मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020 सफल भुगतान के पश्चात् रसीद जनरेट होगी। — भू—राजस्व की रूसीद (आवेदक की प्रति)

आवेदन क्रमांक :	ग्राम/नगर	जीएसटीएन	दिनांक	रसीद संख्या	
Application No	Village/Town	GSTN	Date	Receipt	
* <i>j</i> .	•••••			No	
पटवारी हल्का क्रमांक/	राजस्व निरीक्षक वृत्त.		तहसील	जिला	
सेक्टर क्रमांक		<b>V</b> 1			
Patwari Halka	Revenue Inspect	or	Tahsil	District	
No/Sector	Cirvle	: * · · ·	••••		
No					
**					

सेवा के ब्यौरे	आवेदक / ज	ामाकर्ता का नाम	Public user def def			
Particulars of service	Name of applicant/D	epositor				
वर्ष	खाता संख्या 	क्षेत्रफल	6	गई की		योग रुपये
Year	Holding	Area	राशि रुपये			.,
	No		Amount land reven paid rupees	ue	Service fee rupees	Total rupees

जिसके पश्चात् रसीद बंद करें व 'कुल राजस्व भुगतान राशि' भरें।	After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi".		
पर क्लिक करें।	Select checkbox button & clicl on "jama kare" button.		
टिप्पण:- यह एक कम्प्यूटर जनेरेटेड रसीद है और इस पर हस्ताक्षर और मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।	Note:- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it.		

#### प्ररूप-दो

दो प्रति में

#### (नियम 3 (5) देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020 पटेल, पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली रसीद

पुस्तक संख्या	रसीद संख्या	***************************************	दिनांक	······
1– खातेदार का	नाम		***********	
	सरकारी पट्टेदार			हो √ करें)
3— जिला	तहसील <u>.</u>	ग्राम / नगर		?
पटवारी हल्का	क्रमांक / सेक्टर क्रमांव	<b>b</b>	खाता क्रमांक	

सर्वेक्षण	क्षेत्रफल	भूमिस्वामी / सरकारी	ब	काया के ब्यं	गैरे तथा वर्ष	
संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक / भू—खण्ड संख्यांक		पट्टेदार या भुगतान करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम	वर्ष	बकाया के ब्यौरे	बकाया राशि (रुपए में)	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	
•.						

विरुद्ध	लम (5) के १ भुगतान की ाई राशि	भुगतान की गई राशि शब्दों में	अग्रिम भुगतान के ब्यौरे (10 वर्ष तक) तथा राशि		कुल प्राप्त राशि	
वर्ष	भुगतान की गई राशि		(शब्दों में तथा अंकों )			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा पदनाम 🗸

िष्पण :--1. शासकीय देयों का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खाते का निःशुल्क निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

> 2. शासकीय देय के भुगतान के बारे में इससे अन्य किसी प्ररूप मे रसीद मान्य नहीं हैं।

#### प्ररूप-तीन

#### तीन प्रति में

#### [(नियम 3 (6) देखिए)]

# मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020 अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान रसीद

कोषालय में भुगतान किये गये धन का चालान (कोषालय नियम 10 के सहायक नियम 19 तथा 22) (तीन प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

किसके द्वारा लाया गया	किस बाबत्	शीर्ष	राशि रूपए में	
		योग		

#### राजस्व का शीर्ष

विभाग का	मुख्य	उप मुख्य	उप लघु	योजना शी	र्ष	प्रयोजन
कोड तथा	शीर्ष	शीर्ष	शीर्ष			
नाम						
मर्चेन्ट संख्या	••••••	एचओए का	विवरण	अधिनियम / संहिता	[	सीआरएन
••••	1 - 4. 1 - 1	******				संख्या
बैंक स्क्रॉल	स्क्रॉल	सीआइएन	संख्या	बीआरएन संख्या		
संख्या	दिनांक			• •		
	<u> </u>					

#### (कोषालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु)

परीक्षित	प्राप्त		प्रविष्ट
	रुपए अंकों में	चालान संख्या	चालान दिनांक
	रुपए शब्दों में		
लेखापाल के	कोषाधिकारी के हस्ताक्षर	कोषाधिव	गरी के हस्ताक्षर
आद्याक्षर			

# प्ररूप —चार नेयम 4 देखिए)

			( <del>  -</del>	यिम 4 द	खिए)		
٠.		मध्यप्रदेश भू—राज	स्व सहित	<b>ा (भू</b> —राष	नस्व की उगाही)	नियम, 2020	
		समक्ष	न्यायालय	Ī		···	
						प्रकरण क्रमां	<b>5</b>
			म	ांग की स्	्चना		
		(मध्यप्रदेश भू-र	राजस्व सं	हिता, १९५	69 की धारा 146	के अधीन)	
प्र	ति,						
ग्र		पुत्र					***************************************
	आपसे ए	तद्द्वारा यह सूच	ना ग्रहण	करने की	अपेक्षा की जाती	है कि संल	न विवरण पत्र
में	दिए गए ब्य	ौरे के अनुसार भ	्–राजस्व	के बकार	ग के लेखे आप	पर रूपये	देय हैं
त	था यह कि	यदि शास्ति, ब्यार	ज एवं सू	वना तामी	ाल करने के ख	र्वे (जो रूपये	है
₹	हित इस सूच	ाना की प्राप्ति के		दिन व	हे भीतर उसका	भुगतान नहीं	किया गया तो
दे	य की वसूली	हेतु आपके विरू	द्व प्रपीडक	<b>कार्रवा</b> ई	की जाएगी।		
			र	ाशि रूपए	में		
	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का	खाता	बकाया	शास्ति और	सूचना	कुल देय
		क्रमांक / सेक्टर	क्रमांक	राशि	ब्याज	तामील	राशि
		क्रमांक		! }		करने के	
						. खर्चे	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	,						
					· .		
ŦŤ	<b>ਟਾ</b>					तहसीलदा	₹
मु	প্র।					AC METAL	•
C	नांक	••••				·	***********************

# नोटिस की तामील व्यक्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा -

साक्षी के हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नाम	नाम
पिता/पति का नाम	मोबाईल नम्बर(यदि कोई है
чता	(प्रेषिती से भिन्न होने पर उससे संबंध)
	•
मोबाईल नम्बर(यदि को:	ई हो)
नोटिस मेरे द्वारा दिनांक	मील तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने की
किया गया।	दशा में माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर
तामीलकर्ता के हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
नाम	नाम
पदनाम	मुदा पदनाम
दिनांक, 20	दिनांक20
जहां नोटिस की तामील चस्पा दारा की	जाती है, पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा —
साक्षीगण जिनके द्वारा गृह की पहचान की गई	1. नोटिस मेरे द्वारा(स्थान
और जिसकी उपस्थिति में नोटिस चस्पा किया	का नाम) पर दिनांक को पाश्वे
गया था	में उल्लेखित साक्षीगणों की उपस्थिति में चस्पा कर
(1) साक्षी के हस्ताक्षर	तामील किया गया।
नाम	
पिता/पति का का नाम	2. नोटिस की तामील चस्पा द्वारा किये जाने का
पता	कारण
मोबाईल नम्बर(यदि कोई हो)	
	_
(2) साक्षी के हस्ताक्षर	तामीलकर्ता के हस्ताक्षर
नाम	नाम
पिता/पति का का नाम	पदनाम
पता	दिनांक20
\	
मोबाईल नम्बर(यदि कोई हो)	
	3
तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने व	
	हस्ताक्षर
	<u> नाम</u>
मुद्रा	पदनाम

#### प्ररूप -पांच

#### (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की जगाही) नियम, 2020

समक्ष	न्याया	लय	**********************			
				•		
- 1				प्रकरण	क्रमांक	**********

जंगम संपत्ति की कुर्की का वारंट (मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (1) (क) के अधीन)

प्रति,
[उस व्यक्ति का नाम व पद जिसे कि वारंट के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है]
क्योंकि पुत्र/पुत्री/पत्नि निवासी
तहसील जिला ने भू–राजस्व के बकाया के लेखे संलग्न अनुसूची–एक में दिए
गए विवरण के अनुसार रूपये के भुगतान में चूक की है, आपको एतद्द्वारा नीचे
अनुसूची—दो में यथावर्णित जंगम संपत्ति को कुर्क करने तथा जब तक कि कुल देय धनराशि
का भुगतान नहीं कर दिया जाता, इस न्यायालय का आगामी आदेश होने तक उस संपत्ति को
धारण करने का आदेश दिया जाता है।
आपको यह वारंट दिनांक20 को या उसके पूर्व उस दिनांक तथा रीति का,
जिसमें उसका <b>निष्पादन</b> किया गया अथवा <mark>उसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया, यह</mark>
प्रमाणीकरण करते हुए पृष्ठांकन सहित वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

#### अनुसूची — एक देय बकाया के ब्यौरे

राशि रूपए में

ग्राम/नगर	पटवारी हल्का	खाता	बव	गया के ब्यौरे	शास्ति	देय
	क्रमांक / सेक्टर	क्रमांक	बकाया	आदेशिका जारी	तथा	राशि
	क्रमांक		राशि	करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे	ब्याज	कुल
(1)	(2)	<b>(</b> 3)	(4)	(5)	(6)	(7)

# अनुसूची —दो कुर्क की गई जंगम संपत्ति के ब्यौरे

* *************************************		
2	,	
मुद्रा		तहसीलदार
दिनांक		

# प्ररूप —छह (नियम 6 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	, , ,	•	
समध	न न्यायालय <u></u>	**********	
		प्रव	करण क्रमांक
	जंगम संपत्ति के विक्र	य की उदघोषणा	
मिध्यप्रदेः	श भू–राजस्व संहिता, 1959		त) के अधीन <b>।</b>
पुत्र/पुत्री/पत्नि	वे विनिर्दिष्ट जंगम सं नवासी		तहसील
	द्वारा देय भू-राजस्व के		ाज और कार्यवाहियों क
खचों के लेखे वसूली	के लिए कुर्क किया गया है		
देय राशि का भुगतान	(घोषणा की जाती है कि यि । नहीं कर दिया जाता तो सन् 20 को व	उक्त संपत्ति का वि	वेक्रय स्थान
द्वारा कर दिया जाएग	· ·	40, 41 00 014	
क्षारा चरर विचा आहे।			
अनु. क्रमांक	जंगम सम्पत्ति का विवरण	वस्तुओं की संख्या	
(1)	(2)	(3	)
मुद्रा दिनांक			तहसीलदार
			•

	मध्यप्रदेश भू-	राजस्व सं	प्ररूप - (नियम 7 हेता (भू–र		नियम, 20	20	
	, समक्ष न्यायाल	य		•••••••			* 4
. •				_	करण क्र	<b>गाक</b>	*******
		•		ांपत्ति की कुर्की			
[मध्यप्रदे				T 147(1) (बी), 147	(1) ( बी	बी ), 147	<b>'(1)</b>
	(ৰ	ाबाबा)	तथा 147	(1) (ग) के अधीन]		÷ .	
वयोां	के श्री	******	पुत्र / पुत्र	ो / पत्नि	नि	वासी	
	*		-	उसके द्वारा देय			वे नीचे
अनुसूची-एव	क में दिए गए ब्यें	रि के अनु	सार रूपए	के भुग	तान में च्	क़ की है	1
			अनुसूची	—			
		दे	य बकाया				
•						राशि रूपय	ों में
ग्राम/नगर	पटवारी हल्का	खाता	बद	<b>गया के</b> ब्यौरे	शास्ति	देय	]
	क्रमांक / सेक्टर	क्रमांक	बकाया	आदेशिका जारी		राशि	
	क्रमांक		राशि	करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे	ब्याज	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	<b>(</b> 5)	(6)	(7)	]
4				` ~	2.3	<b>A V A</b>	o o(
				को निग			
				भार युक्त करने से			
				ाता है उसी प्रकार	तथा उर	त क्रय, द	ान या
अन्यथा प्राप्त	करने से एतद्द्व	ारा ।नवा	वत ।कया	जाता ह।			
		(स्थाव	अनुसूची ार संपत्ति	—दो का विवरण)			
1 2	•• • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
_	हस्ताक्षर एवं इस गया।	न्यायालय	की मुद्रा	द्वारा आज दिनांक		20 को	ा जारी
मद्रा						तहसी	लदार

#### प्ररूप -आठ

#### (नियम 8 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	समक्ष न्यायाल	य		•	•	
			V	प्रकरण क्र	मांक	•••••
		खाते को पट्टे	पर देने की उ	<b>रघोषणा</b>		
[मध्यप्रदे	श भू–राजस्व सं	हेता, 1959 की	धारा 147 (1)(	बी बी) तथा 1	47 (1) (बी बी	बी)
•	÷.	के	अधीन]			
क्योंकि	श्री	पत्र /पर्ट	ग्रि∕पत्नि		निवासी	
						तों को
	में विनिर्दिष्ट भू-र				•	
के खर्चे के	कारण देय	रूपए की	वसूली के लिए	कुर्क किया	गया है;	
एतदद्वा	ारा उदघोषणा की	जाती है कि	यदि शोध्य रक	म पट्टे पर व	देने के लिए एत	दद्वारा
नियत दिन	के पूर्व न चुकाई	गई तो उक्त र	बाता/खातों क	ो उसं / उन	पर अधिरोपित	संगस्त
	उसके/उनके सं					
	पर वि					जनिक
नीलामी द्वार	T 7	pृषि वर्षों की क	ालावधि के लिए	र पट्टे पर दे	दिया जाएगा।	
	•		•		राशि रूपयों	में
ग्राम / नगर	1	खाता क्रमांक	क्षेत्रफल	निर्धारण	बकाया	] .
	क्रमांक / सेक्टर		(हेक्टर में)			
	क्रमांक					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				<u> </u>		

- टिप्पणी— 1. प्रत्येक खाते पर शोध्य भू—राजस्व के बकाया को कालम (6) में पृथक् रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।
  - 2. यदि किसी खाते में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड समाविष्ट हों तो पट्टे को संचालित करने वाले अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे संख्यांकों में से एक या अधिक संख्यांकों को, जैसा कि बकाया वसूल करने के हेतु आवश्यक समझा जाए, पट्टे पर दे।

खाते का पट्टे पर दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगा:-

- (एक) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप—धारा (1) के खण्ड (ठ) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित "भूमिहीन व्यक्ति" ही नीलामी में बोली लगाने का पात्र होगा।
- (दो) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा के रूप में अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।
- (तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।
- (चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालाविध के दौरान भूमि पर पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।
- (पांच) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेगा।
- (छह) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (सात) पट्टेदार उसके पक्ष में नीलामी की बोली खत्म की जाने के तुरंत पश्चात् बोली की कुल रकम का भुगतान करेगा या वह बोली की रकम का कम से कम 1/4 भाग का तुरंत भुगतान कर सकेगा तथा शेष रकम का नीलाम के दिनांक से 15 दिन के भीतर उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।
- (आठ) यदि शेष रकम का पट्टेदार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो पूर्व में जमा की गई बोली की रकम समपहृत कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी की जाएगी।
- (नौ) यह तहसीलदार के विवेक पर होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करे या न करे तथा भूमि को पट्टे पर दे।
- (दस) पट्टे की कालावंधि समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रदद हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।

मुद्रा		तहसीलदार
दिनांक		**********

#### प्ररूप —नौ (नियम 8 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

,	प्रकरण	क्रमांक	•••••	••••	

# पट्टा विलेख

# [मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (बी बी) तथा 147(1) (बी बी बी) के अधीन]

ग्राम/नगर	तहसील	<b>******</b>	जिला <i></i>	में
स्थित उस भूमि, जिसे सं	लग्न अनुसूची में और 1	विशिष्ट रूप से उति	लेखित किया	गया है, का
यह अस्थायी पट्टा तहर	ील	जिला	के तहसी	लिदार द्वारा
श्री	पुत्र/पुत्री/पत्नि	· 	निवासी	**********
जिला	. को (जिसे इसमें इस	<mark>कि पश</mark> ्चात् पट्टाग्र	हीता के नाम	से निर्दिष्ट
किया गया है) निम्नलिखि	त निबंधनों तथा <b>शर्तों</b> प	ार प्रदान किया जात	ता है:—	

- (1) पट्टेदार भूमि को कृषि वर्ष ...... से कृषि वर्ष ...... तक धारण करेगा।
- (2) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।
- (3) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नही करेगा।
- (4) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- (5) पट्टेदार पट्टे के दिनांक के आगामी राजस्व वर्ष से भूमि के पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।
- (6) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।
- (7) पट्टे की कालाविध समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।
- (8) यदि पट्टेदार विनिर्दिष्ट दिनांक को भू-राजस्व का भुगतान न करे या ऊपर विनिर्दिष्ट की गई शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग करे तो तहसीलदार भूमि में प्रवेश कर सकेगा तथा खड़ी फसलों (यदि कोई हों) सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा और तहसीलदार इस संबंध में कोई नुकसानी या प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

#### अनुसूची

ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	सर्वेक्षण संख्यांक	पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल	निर्धारण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

				٠					÷	
			•				;			
••••••							•			
	~~	~~~ 4 	~~~ <b>*</b>	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	~~~ *	~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		 निर्दिष्ट शर्ते पद तथा समझ ली हैं और मैं <b>उनका</b> पालन करने व

मैंने ऊपर विनिर्दिष्ट शर्ते पढ़ तथा समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

साक्षीगण –

1. .....

2. .....

पट्टेदार के हस्ताक्षर

# प्ररूप —दस (नियम 9 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	मध्यप्रदेश भू-राज	स्व साहता (भू-र	जिस्व का उगाह	॥) ।नयम, 202	20	
	समक्ष न्याय	लय				
			प्र	करण क्रमांक	***************	
•		खाते के विक्रय व	ही उदघोषणा			
	[मध्यप्रदेश भू-राज		•	।)(बी) के अधी	न]	
पुत्र / पुत्री / जिला	त्र नीचे विनिदि पत्निपर का तथा उसके प्रवर्तन है;	निवासी लम (6) में विनि	र्दिष्ट भू–राजस	तहसील य के बकाया	तथा आदेशिका	
एतद्द्वारा यह उद्घोषणा की जाती है कि यदि एतद्द्वारा विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त खाता/खातों का उस पर/उन पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके संबंध में किए गए समस्त अनुदानों से एवं संविदाओं से मुक्त पर दिनांक बजे या लगभग सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।						
					रूपयों में	
ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	खाता क्रमाक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	निर्घारण	बकाया	
(1)	(2)	(3)	(4)	<b>(</b> 5)	(6)	
टिप्पणी :	(एक) प्रत्येक खाते ।	_	ास्व के बकाया	को कॅालम (६	s) में पृथक् रूप	
	से विनिर्दिष्ट किय (दो) यदि किसी खात तो विक्रय को सं ऐसे संख्यांकों में के हेतु आवश्यक	ो में एक से अधि बालित करने वाल से एक या अधिक	ले अधिकारी के संख्यांकों का,	। यह स्वतंत्रत जैसा कि बक	ा होगी कि वह ाया वसूल करने	
मुद्रा		\$		तहर्स	लिदार	
दिनांक	·····					

#### प्ररूप -ग्यारह

# (नियम 9 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	1-48441 2	Total Medit (12 Clotta -	71 0 hely 1141, 2020
	समक्ष न्यायालय	I	
			प्रकरण क्रमांक
	74	थावर संपत्ति के विक्रय की	उदघोषणा
ľ		जस्व संहिता, 1959 की धा	
•	<b>.</b>		
નગોનિ :	नीते तिर्धात उद्	गतर संपन्ति	पुत्र/पुत्री/पत्नि
निवासी तहर्स	नाय <b>या</b> नात () ोल	जिला	पर के लेखे देय
रूपए	तथा अ		उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे देय
उपरोक्त संपूण स्थान	<b>ाशि</b> का भुग पर वि	तान नहीं कर दिया जात	विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व ता है तो <b>उक्त संपत्ति का</b> विक्रय कोबजे या उसके
विक्रय क तक सीमित हो		उक्त संपत्ति में उक्त बक	ायादार के अधिकारों, <b>हकों तथा</b> हितों
		संपत्ति के ब्यौरे	
अनुक्रमांक	विवरण	निर्धारण, (यदि कोई हो) (रूपए में)	किसी भी ज्ञात भार आदि की टिप्पणी
(1)	<b>(</b> 2)	(3)	(4)
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
मुद <u>्</u> रा			तहसीलदार
दिनाक	••		

## प्ररूप —बारह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

			- 10	•					
	समक्ष न्याया	लय	***************************************	*****					
				प्रक	रण क्रमांक				
	भू [मध्यप्रदेश भू—राजस्व	•	हे हेतु विक्रय प्रम ता, 1959 की ध		के अधीन]				
यह प्र	प्रमाणित किया जाता	寄	कि	पुत्र/पुः	त्री / पत्नि				
निवासी ग्राम जिला जिला									
					द्वारा विक्रय में नीचे				
	गते का क्रेता घोषित वि				• .				
	भी व्यक्ति द्वारा इसके ा हुई है।	संब	ध में किए गए	समस्त दानों एवं	ा भारों से तथा क्रेता से संविदाओं से मुक्त रूप				
ग्राम् / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक सेक्टर क्रमांक	5/	खाता क्रमाक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	निर्धारण (रूपए में)				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)				
संख्यांकों	समाविष्ट सर्वेक्षण /ब्लॉक संख्यांकों इ संख्यांकों के ब्यौरे	द	र्ज भूमिस्वामी का नाम		धन राशि जिसमें क्रय किया गया (रूपए में)				
	(6)		(7)		(8)				
मुद्रा तहसीलदार दिनांक									

# प्ररूप —तेरह (नियम 10 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

		•			<del></del> -
		समक्ष न्यायालय .			
				प्रकरण उ	क्रमांक
	[मध्यप्रदे		पत्ति का विक्रय प्रमाण ता, 1959 की धारा 14		प्रधीन]
यह प	प्रमाणित	किया जाता है	किपु	त्र / पुत्री / पति	न
			नहसील		
दिनांक	20 व	<b>हो आयो</b> जित सार्व	जनिक नीलामी द्वारा	विक्रय में नीचे	विनिर्दिष्ट स्थावर
		वेत किया गया है।			
ऐसे वि	्र क्रिय द्वारा	क्रेता को उक्त स	पित्ति में के	पुत्र/पुत्री/प	ল <del>ি</del>
		ग हित अंतरित हुए			
	•	3,		•	
·			संपितत के ब्यौरे		
अनुक्रमांक	विवरण	· '	निर्धारण (यदि कोई		धनराशि जिसमें
	į	संपत्ति स्थित है)	हो) (रूपए में)	–स्वामी का	क्रय किया गया (रूपए में)
(1)	(2)	(3)	(4)	नाम <b>(</b> 5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(7)	(0)	(0)
	:				
मुद्रा दिनांक					तहसीलदार
				•••	**************************

# प्ररूप —चौदह (नियम 12 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय	
	रण क्रमांक
बैंक खाता/बैंक लॉकर की कुर्की का वारंट	
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (2)	के अधीन]
प्रति,	
(उस व्यक्ति का नाम व पदनाम जिसे कि वारंट के निष्पादन	<b>का</b> उत्तरदायित्व सौंप
गया है।)	
क्योंकि पुत्र/पुत्री/पत्नि	निवासी
तहसील जिला ने भू-राजस्व के लेखे	संलग्न अनुसूची-एक मे
दिए गए विवरण के अनुसाररुपए के भुगतान में चूक व	<b>ी है। आ</b> पको एतद्द्वार
उक्त व्यक्ति के अनुसूची-दो में दिए गए विवरण के अनुसार बैंक खा	ते/बैंक लॉकर को कुर्क
करने तथा जब तक कि देय संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर	दिया जाता, उसे इस
न्यायालय की आगामी आज्ञापर्यंत धारण करने की आज्ञा दी जाती है	
बकायादार का दूसरा बैंक खाता अथवा बैंक लॉकर खोले जाने से रोक	
आपको यह वारंट दिनांक को या उसके पूर्व इस	•
उस दिनांक का जिसको और उस रीति का, जिसमें इसका निष्पाद	
निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाणन हो, वापस लौटाने का भी आदेश दिया जा	ता है।
अनुसूची—एक देय बकाया का विवरण	
बकाया राशि   आदेशिका जारी शास्ति और ब्याज (राशि रु	ज्यार में)
करने तथा उसके (यदि कोई हो) कुल देय	• • •
प्रवर्तन के खर्चे	<i>t</i> .
(1) (2) (3)	(4)
अनुसूची—दो	
<b>1. बैंक लॉकर्स के ब्यौरे</b>	
2. बैंक खाता क्रमांक के ब्यौरे	
मुद्रा	तहसीलदार
दिनांक	

# प्ररूप -पंद्रह

	(नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020
	समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
	प्रकरण क्रमांक
	<del></del>
	सूचना
	[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (3) के अधीन]
प्रति,	
	कु/श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नि
	निवासी ग्राम / नगरतहसीलजिलाजिला
तामीव है, चू	क्योंकि आपने तहसील
इस असफ	न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण दर्शाएं कि उक्त धनराशि जमा करने में ल रहने के कारण आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए।
	आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर
प्रदत्त	
	मुद्रा उपखण्ड अधिकारी
	दिनांक उपखण्ड
	जिला

# प्ररूप -सोलह

# (नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखण्ड ३	गधकारा
	प्रकरण क्रमांक/20
आवेदक	
विरुद्ध	
अनावेदक	
गिरफ्तारी व	<b>ा</b> रंट
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 र	सन् 1959) की धारा 147 की उप धारा (3)
के अधीन शक्तियों के	
<del></del>	
प्रति,	
(	41
(उस व्यक्ति का नाम व पद जिसे कि वारंट का नि	
क्योंकि (वारंटी का नाम) पुत्र/प्	•
(पूरा पता) ने उस पर तहसीलदार	
द्वारा तामील की गई मांग की सूचना क्रमांक	
जिसकी राशि रूपये (रूपये) होत	<del></del>
और क्योंकि(वारंटी क	
दिनांक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपिर	
की गई थी कि उक्त राशि जमा करने में असफल	रहने के कारण उसे सिविल कारागार के
सुपुर्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।	), o o o ( )
और क्योंकि उक्त उपरोक्त सूचना	
समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा है और उसने	। उक्त राशि का भुगतान करने में भी चूक
जारी रखी है;	
अतएव, आपको उक्त(वारंटी का	•
कर दिए जाने का <mark>सबूत नहीं सौं</mark> प देता है तो उसे	
शीघ्रता से इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने के ि	
आपको यह वारंट दिनांक20 को	· · · · ·
उस दिनांक का, जिसको और उस रीति का, जि	समें इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों
निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाणन हो, वापस लौटाने का १	भी आदेश दिया जाता है।
आज दिनांक20 को मेरे हस्ताक्षर से	तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।
<u>मुद्र</u> ा	उपखण्ड अधिकारी
देनांक	उपखण्ड

# प्ररूप —सत्रह (नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखंड आ	घकारा
	प्रकरण क्रमांक
विरुद्ध	
जेल के सुपुर्द करने	
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 व प्रति, भारसाधक अधिकारी जेल	ज धारा १४७(३) क अधाना
क्योंकि ने तहसील द्वारा दिनांक को उस पर तामील की ग बावजूद भू—राजस्व के भुगतान में, जिसकी राशि रूप है; और क्योंकि से सूचना क्रमांक समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी;	ई मांग की सूचना क्रमांक के ाये (रूपये) होती है, चूक की
और क्योंकि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने समाधान नहीं कर सका है कि उसे सिविल कारागार	
अतएव आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जात आप उक्त को सिविल कारागार में लें और दिनांकतक (दोनों दिन सम्मिलित करते वहां कारावासित रखें।	प्राप्त करें और उसे दिनांकसे
आज दिनांक20 को मेरे हस्ताक्षर से तध	था न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।
मुद्रा दिनांक	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड जिला

# प्ररूप —अठ्ठारह (नियम 13 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

	समक्ष न्यायाल	य उपखंड अधिक	ारी	
*************************			प्रकरण क्रमांक	**********
विरुद्ध				$f \sim \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac$
	छोड़े	जाने के लिए आ	देश	
प्रति,	ध्यप्रदेश भू-राजस्व स	हिता, 1959 की ध	गरा 147(5) के अधीन]	
भारसाधक आ	धेकारी जेल	******		
11 41 51 MAG	आदेश के अधीन आप आपकी अभिरक्षा में न न हो, मुक्त कर दें	ह जब तक कि ह	निर्देश दिया जाता है वह किसी अन्य कारण	कि अब से निरुद्ध रखे
आज दिनांक	20 को मेरे	हस्ताक्षर से तथा	न्यायालय की मुद्रा लग	किर प्रदत्त।
<u>द्भा</u>			उपखण्ड अधिकारी	
रेनांक			उपखण्ड	•
			जिला	

#### प्ररूप —उन्नीस (नियम 14 देखिए) मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

# राशियों की भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली के लिए आवेदन पत्र [मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 155 के अधीन]

.*	[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 155 के अधीन]	
प्रति	<b>ते.</b>	
	तहसीलदार/राजस्व अधिकारी	
,	यह विनिश्चित् किया गया है कि निम्नलिखित राशियों को, जिनका विवरण नीचे दिया	गया
है, बक	भू—राजस्व के बकाया तौर पर वसूल किया जाना चाहिए। कृपया इन्हें भू—राजस्व गया के तौर पर वसूल करें तथा नीचे मद क्रमांक 7 में वर्णित लेखा शीर्ष में जमा करें:–	ा के -
1.	विभाग / सक्षम प्राधिकारी का नाम जिसे कि राशि शोध्य है	
2.	उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा पूरा पता जिससे कि राशियां शोध्य हैं	
3.	शोध्य राशियों का विवरण	
4.	विधि का वह उपबंध जिसके अधीन राशियां भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य हैं।	-
5.	वह आदेशिका जिसके द्वारा राशि वसूल की जा सकेगी।	
6.	उस संपत्ति का विवरण जिसके विरूद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेगी।	
7.	वह लेखा शीर्ष जिसमें वसूली के पश्चात् धनराशि जमा की जाएगी	
8.	क्या धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) अथवा (ज) के अधीन यथारिथिति अपेक्षित प्रमाण-पत्र कुर्क किए गए हैं?	
	मुद्रा सक्षम प्राधिकारी के हस्ता	क्षर
	दिनांक नाम	
	ਸਟਜ਼ਸ	· ·.

#### पावती / अभिस्वीकृति

प्रति,	. •						4			•		
	••••••										. `	e a
•												
	•••••	से	ক্ত	पए की र	ाशि की	वसूली	के लि	ए ऊपर	प्रस्तुत	किए	गए आ	वेदन
की ए	तद्द्वार	ा अभिर	वीकृति दी	ो जाती है	Π,			• • •				
			•		•		•	-		7		
मुद्रा						तहर्स	ोलदार,	/ राजरू	व अधिव	गरी		
् दिनांव	<sub></sub> .	••••		4			•••••	•••••				
									,			

#### प्ररूप —बीस (नियम 15 देखिए) मध्यप्रदेश मू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

# मू—राजस्व की कमी के लिए आवेदन पत्र [मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की घारा 147 (2) के अधीन]

2.	माता/पिता/पति का नाम	·
3.	पूरा पता	
	(मोबाईल / फोन नंबर सहित)	
4.	भूमि का विवरण (1) खाता क्रमांक	
	(2) सर्वेक्षण संख्यांक (3) क्षेत्रफल	
	(4) भू-राजस्व	
	(5) ग्राम का नाम (जहां भूमि स्थित है) (6) पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	
	(7) तहसील जिला	
5.	वे आधार जिन पर भू-राजस्व में कमी चाही गई है	

आवेदक के हस्ताक्षर

#### संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज-

- 1. अधिकार अभिलेख अथवा खाते की नवीनतम जमाबंदी की प्रति
- 2. यथास्थिति निस्तार पत्रक अथवा ग्राम वाजिब-उल-अर्ज में सुसंगत प्रविष्टियां

- 3. सिंचाई के संसाधन सहित सिंचित भूमि के सर्वेक्षण संख्यांक
- 4. कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

#### भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2020

कमांक एफ-2-5/2020-सात-शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-2-5/2020-सात-शा-7, दिनांक-1.8;-8.-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

F. 2-5-2020-VII/Sec 7.—

Bhopal, the 18th August 2020

The following draft of rules which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section clause (xxxi), (xxxii), (xxxiv), (xxxv), and (xxxvi) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with section 140, 142, 146, 147, 155 and section 161 of the said Code and in supersession of this department's Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18th May, 1961 and Notification No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11th august, 1961, Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960, Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12th June, 1961, No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4th July, 1988, Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25th June, 1962, No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2 June, 1972, Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11th January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26th June, 1962 and Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the following draft of rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh Bhawan, Mantralaya, Bhopal from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

#### DRAFT OF RULES

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ki Ugahi) Niyam, 2020.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -
  - (a) "Bhulekh portal" means an official web portal of the State Government through which payment of land revenue may be made online;
  - (b) "challan" means a form used for making payment of land revenue through a bank or web portal;
  - (c) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);
  - (d) "Form" means a form appended to these rules;
  - (e) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;
  - (f) "Scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934); and
  - (g) "Section" means a section of the Code.
- (2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.
- 3. Manner of payment of land revenue.- (1) Subject to sub-rules (2) and (7) land revenue may be paid by any of the following manner-
  - (a) direct payment into the government treasury through Bhulekh portal;
  - (b) deposit through a scheduled bank authorised by the State Government for this purpose;

- (c) payment to the Patel of the village or where no Patel is appointed, to the Patwari of the Halka; or
- (e) payment to the Nagar Sarvekshak of the Sector.
- (2) The State Government may, by notification in the official gazette, discontinue any of the manners of payment prescribed in sub-rule (1).
- (3) It shall be the duty of the Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak to deposit the money received by them under sub-rule (1) into the government treasury through Bhulekh portal within such time as may be directed by the State Government.
- (4) In case of payment through Bhulekh portal the person making payment shall fill up a challan online. He shall have to click the 'Revenue Payment' icon on such portal. After completion of successful online payment an electronic receipt shall be generated in Form -1.
- (5) In case of payment of land revenue to Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak the person receiving the payment shall prepare receipt of payment in Form II in duplicate and one copy shall be given to the person making the payment.
- (6) In case of payment through a scheduled bank the payment shall be tendered with a challan in Form III in triplicate. One copy of the challan signed by the bank employee receiving the money and stamped with bank's seal shall be returned to the person making payment.
- (7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government may, by notification in official gazette, authorise a local authority or a class of local authorities to collect such categories of land revenue as may be specified in the notification and upon such notification payment of such categories of land revenue shall be made to such local authority and in no other manner. The receipt of the payment shall be given in such Form as may be directed by the State Government.

Explanation: Local authority means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Special Area Development Authority or a Jila Panchayat, Janapad Panchayat or Gram Panchayat established under the corresponding law for the time being in force.

- 4. Notice of demand.-(1) A notice of demand under Section 146 shall be issued in duplicate in Form IV.
- (2) Separate notice of demand shall be issued against different defaulters.
- (3) Such notice shall be issued and served in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 5. Cost recoverable as part of arrear. Costs at the following rates shall be recovered as part of arrear under Section 148,-
  - (a) rupees one hundred for serving a notice of demand under section 146; and
  - (b) rupees five hundred for issuing and enforcing any process in Section 147.
- 6. Warrant of attachment of movable property.— (1) Every warrant of attachment of movable property under clause (a) of sub-section (1) of Section 147 shall be issued in Form V, and if its sale is to be enforced, a proclamation in Form -VI shall be issued.
- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- (3) Attachment of movable property in compliance to such warrant shall be made in accordance with the provisions of Part VI of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 7. Attachment of immovable property.— (1) When immovable property is ordered to be attached under clause (b), (bb), (bbb) or (c) of sub-section (1) of Section 147 the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in Form VII.
- (2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in subrule (2) of Rule 72 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 8. Letting of holding.- (1) Where the holding is to be let by auction, a proclamation shall be issued in Form VIII.

- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- (3) After the sanction for letting is accorded, lease deed shall be executed in **Form IX**.
- 9. Sale of immovable property.- (1) When the sale of immovable property is to be held, proclamation for sale shall be issued:-
  - (a) in case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in Form X; or
  - (b) in case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in Form XI.
- (2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Rule 79 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 10. Certificate of sale.-After the sale of immovable property, sale certificate shall be issued:-
  - (a) in the case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in Form XII; or
  - (b) in the case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in Form XIII.
- 11. Procedure when property to be proceeded against is in another district.—If the property to be proceeded against under clause (b) or (c) of sub-section (1) of Section 147 is in a district other than that in which the arrears accrued the Collector of the district in which such property is situated shall issue the required process on the motion of the Collector of the district in which arrears accrued.
- 12. Attachment of bank account or bank locker.- (1) When a bank account or bank locker is ordered to be attached under sub-section (2) of Section 147, the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in Form XIV.

- (2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in subrule (3) of Rule 56 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.
- 13. Arrest and confinement of a person committing default in payment of arrear of land revenue.— (1) If any person continues in default of payment of arrear of land revenue exceeding Rupees fifty Lakh after the period allowed for the payment of such arrears in the notice of demand issued under sub-section (1) of Section 146 has lapsed, the Tahsildar may submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer:

Provided that where an objection to such notice has been made under subsection (2) of Section 146, the Tahsildar shall submit report to the Sub-Divisional Officer after deciding such objection if required.

Explanation: For the purpose of this Rule, the arrear of land revenue includes the moneys recoverable as an arrear of land revenue under Section 155.

- (2) On receipt of the report from the Tahsildar under sub-rule (1), the Sub-Divisional Officer may issue a notice in Form XV to such person calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.
- (3) If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under sub-rule (2), on the day specified therein and also continues in default of payment of such arrears of land revenue, the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, issue a warrant in Form XVI, for the arrest of such person.
- (4) Where such person appears before the Sub-Divisional Officer in compliance to the notice issued under sub-rule (2) or is produced before him in pursuance of the warrant of arrest issued under sub-rule (3), the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.
- (5) Upon the conclusion of the inquiry under sub-rule (4), the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, make an order for committal of such person to civil prison and issue a warrant

- of committal to jail in Form-XVII and shall in that event cause him to be arrested, if he is not already under arrest.
- (6) The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall apply mutatis mutandis to arrest under sub-rule (3) and (5).
- (7) The order for release from civil prison shall be in Form XVIII.
- (8) The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (3) of Section 147 shall be borne by the State Government.
- 14. Moneys recoverable as an arrears of land revenue.- (1) Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 shall be as per Schedule I.
- (2) Where a Competent Authority decides that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 it shall make an application in writing to the Tahsildar or such other Revenue Officer as may be empowered under the Code to recover the arrears.
- (3) The application to be made by the Competent Authority shall be in Form XIX and such application shall contain the following particulars-
  - (a) the Competent Authority to whom the sum is due;
  - (b) the sum due;
  - (c) the person from whom the sum is due;
  - (d) the provision of law under which the sum is recoverable as an arrear of land revenue;
  - (e) the process by which the sum may be recovered;
  - (f) the property against which the process may be executed; and
  - (g) the certificate required under clause (d), (e), (f), (g) or (h) of Section 155, as the case may be.
- (4) On receipt of the application, the Tahsildar or the Revenue Officer shall dispose it of in accordance with the provisions of the Code and the rules made thereunder.

- (5) These rules shall not apply to such cases or class of cases as the State Government may, by notification, declare.
- 15. Reduction in land revenue.- (1) Application to be made by a Bhumiswami under sub-section (1) of Section 161 shall be in Form -XX.
- (2) On receipt of the application, the Collector shall require the Superintendent of Land Records or the Assistant Superintendent of Land Records to make an inquiry as to the correctness of the details set out in the application and, to report within a period not exceeding three months, the results of the enquiry so made.
- (3) When the reduction in the revenue is sought on the grounds set out in clause (i),
- (ii) or (iii) of sub-section (1) of Section 161, the person to whom inquiry is entrusted, shall inspect the spot and collect such data as he considers necessary for the disposal of the application.
- (4) After the receipt of the report under sub-rule (3), the Collector shall call upon the applicant to appear personally and to produce evidence in support of his claim. If after due examination of applicant and the evidence produced by him he is satisfied that the reduction should be ordered, he shall record an order to this effect which shall be communicated forthwith to the applicant, stating the amount by which the land revenue of the holding has to be reduced. A copy of the order shall be sent to the Tahsildar for necessary corrections to be made in the record-of-rights and in the demand list by the Patwari:

Provided that no such reduction shall be ordered if it is less than rupees one hundred.

- (5) The computation of land revenue shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharn) Niyam, 2018.
- 16. Repeal and Savings. (1) Following Rules are hereby repealed,-
  - (a) Rules made under section 140 regarding payment of land revenue by Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18<sup>th</sup> May, 1961 and No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11<sup>th</sup> august, 1961;

- (b) Rules made under Section 142 regarding receipt of payment of land revenue made by Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960;
- (c) Rules made under Section 144 regarding suspension and remission of land revenue made by Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12<sup>th</sup> June, 1961 and No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4<sup>th</sup> July, 1988;
- (d) Rules made under section 146 and 147 regarding notice of demand and issue of processes for the recovery of arrear by Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25<sup>th</sup> June, 1962 and No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2 June, 1972;
- (e) Rules made under Section 155 regarding money recoverable as an arrear of land revenue by Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11<sup>th</sup> January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26<sup>th</sup> June, 1962; and
- (f) Rules made under Section 161 regarding reduction in revenue by Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6<sup>th</sup> January, 1960.
- (2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

# Schedule – I (see Rule 14)

# Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue

S.	Class of money	Competent Authority
No.		(2)
(1)	(2)	(3)
1.	Under clause (a) of Section 155	In case of moneys payable or leviable under the Code,
**	Except such charges as are included in the land	ic vidore
	revenue under sub-section (2) of Section 30, all	Tahsildar
	rents royalties water rates, cesses, tees, charges,	11
	premium penalties fines and cost payable of	In case of moneys payable or
۸.	leviable under the Code or any other enactment for	leviable under any other
	the time being in force	enactment, the Court, authority
	Ille time comp	or officer ordering payment of
		such moneys or levying such
		moneys under such enactment.
2.	Under clause (b) of Section 155	The authority or officer
۷.	All moneys falling due to the State Government	sanctioning such grant, lease or
	under any grant, lease or contract which provides	contract.
	that they shall be recoverable in the same manner as	
	an arrear of land revenue.	
3.	Under clause (bb) of Section 155	The authority or officer
ა.	All moneys guaranteed by the State Government to	sanctioning such guarantee.
	the extent of amount guaranteed under a contract of	
	guarantee which provides that they shall be	
	recoverable in the same manner as an arrear of land	
	revenue.	
4.	Under clause (c) of Section 155	In case of sums recoverable
4.	All sums declared by the Code or any other	under the Code, Tahsildar
	enactment for the time being in force to be	· ·
	recoverable in the same manner as an arrear of land	In case of sums recoverable
	revenue.	Ulluci ally other chaothrons, and
	levellue.	Court, authority or officer
		ordering such recovery
-	Under clause (d) of Section 155	Registrar appointed under such
5.	Any sum ordered by a liquidator appointed under	law
	any law relating to co-operative societies for the lillie	
	being in force in any region of the State to be	
	recovered as a contribution to the assets of a society	
	or as the cost of liquidation.	
-	VI de alongo (a) of Section 155	Managing Director of the said
6.	Under clause (e) of Section 155 Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh	

	State Agro Industries Development Corporation Limited	Managing Director of the said
7.	Under clause (f) of Section 155  Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited and the Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam	Corporation
8.	Under clause (g) of Section 155  Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Lift Irrigation Corporation Limited	Managing Director of the said Corporation The Chief Executive. by
9.	Under clause (h) of Section 155  Moneys becoming payable to such entity owned and controlled by the State Government as may be notified by the State Government in this behalf	The Chief Executive, by whatever name called, of the said entity

# Form-I (See rule 3 (4)

# Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

## After Successful payment receipt will generate.

Receipt of land revenue (Copy of Applicant)

	TIT / 2712	जीएसटीएन	दिनाक	रसीद संख्या
आवेदन क्रमाक : .	ग्राम/नगर	•	Date	Receipt
,	Village/Town	GSTN	Date	•
Application				No
No				
पटवारी हल्का	राजस्व निरीक्षक वृत्त	********	तहसील	जिला
क्रमांक / सेक्टर	,			
क्रमांक	Revenue Inspector		Tahsil	District
Patwari Halka	Cirvle			
No/Sector				
No				
1, 11				

सेवा के ब्यौरे	आवेदक / ज	माकर्ता का नाम	Public user def def			
Particulars of service	Name of applicant/D	epositor				
वर्ष Year	खाता संख्या Holding No	क्षेत्रफल Area	भुगतान की गई भू-राजस्व की राशि रुपये	सेवा शुल्क रुपये	योग रुपये	
			Amount of land revenue paid rupees	Service fee rupees	Total rupees	

After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi.

Select checkbox button & click on "Jama kare" button.

Note:- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it.

### FORM-II

# In duplicate

(See rule 3 (5))

## The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Receipt to be granted by pat	l, patwari and	Nagar	sarveks!	nak
------------------------------	----------------	-------	----------	-----

2- Bl	istrict	or Gover	Tahsil	eevil Holding No	`	ch is applicab	lc)
Survey No./ Area Name of				of Bhumiswami	• • • •	Details of due	s and year
	No./plot	(in hectare	/Governm	/Government lessee or other person making payment		Particulars of dues	Amount Due (in rupees)
		or square meter)			(4)		(5)
	(1)	(2)		(3)			(5)
	nt paid again	I	ount paid	Details of advance payment (up to 10		Arrears/ Current	Total amount received
Year			years) and amount (in words and figure)			(10)	(11)
(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)

Signature of the person making payment

Book no. ...... Receipt No.. ......

Signature and designation of receiver

- Note- 1- Every person making payment to Government dues has a right to inspect his khata free of cost.
  - 2- No receipt in a form other than this in respect of payment of Government dues is valid.

#### FORM-III

## In triplicate

[(See rule 3 (6)]

## The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

# Challan Receipt in case of payment through schedule bank

# CHALLAN OF MONEY PAID INTO THE TREASURY

(Subsidiary Rule 19 and 22 under treasury rule 10)

(To be presented in triplicate)

By whom Brought	On what Account	Head	Amount (in rupees)	
		Total		

#### Head of Revenue

Department code and Name	Major Head	Sub-Major Head	Sub-Minor Head	Scheme Head	Purpose
Code and Traine				·	
Merchant No		Description o	f HOA	Act/ Code	CRN NO
				•••••	
Bank Scroll No.	Scroll Date	CIN	Number	BRN	Number

# (FOR THE OFFICE USE OF TRESUARY)

<b>1</b>	Received	Entered		
Examined	Rs. In figure	Challan No	Challan Date	
	Rupees in words			
Initial of Accounts	Signature of treasurer	Signature	of treasurer	

Signature of bank official receiving payment

**SEAL** 

### FORM -IV

				rule 4)	.:		
	The Mad	hya Pradesh	Bhu-Rajas	sva Sanhita	(Bhu-Raj	asva ki Ug	ahi)
				m, 2020	e e		
	•		• .			•	* *.
	In the courtof					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
		•		<u>.</u>		Case No	*****
			Notice of			C-3- 10/	<b>5</b> 0\
	(Under sectio	n 146 of the	Madhya P	radesh Lan	id Kevenue	e Code, 19:	39)
	То						
	Shri	/dox	ahtar/wife	of Shri		.resi	dent
	of	SOII/uau	Sown	T:	hsil	District	•••••
. •							
	You are hereby	required to t	ake notice t	hat a sum o	t Rs	is due	ITOIII
	you on accoun	t of arrears	of land rev	enue as pe	r details gi	ven in uic	coint
	joined statemer	nt, and that u	nless it is p	aid within.	day	s of the re	et of
	of this notice, t	ogether with	Rs	being p	be taken	against voi	n for
,	proceedings, co		according	to law will	de laken	agamst yo	
	recovery of the	dues.	•		•		
•			Amount in	n Rupees	gallet go was much have been upon transfer from March 2	and the second second	r
-	Village/Town	Patwari	Holding	Amount	Penalty	Cost of	Total
	•	halka No./	Number	of	and	serving	amount
•		Sector No.		arrears	interest	notice	due
		·	,				

Village, Town	halka No./ Sector No.		of arrears	and interest	serving notice	amount due
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		A Designation of the Section Co.				<u></u>

SEAL				Tahsildar
Dated	•••••	i seti		***************************************

865

# Where the notice is served personally, the endorsement shall be made as below-

Signature of Receiver		
Name		
(Relation if other than the addressee)		
In case the notice is served throug	gh Tahsil,	
countersignature of Mal-Zamadar.		
Seal Signature	••	
Name	•••	
Dated, the20 Designation		
	Mobile Phone Number(if any) (Relation if other than the addressee)  In case the notice is served throug countersignature of Mal-Zamadar.  Seal Signature Name	

# Where the notice is served by affixing, the endorsement shall be made as below-

Witnesses by whom the house was identified and in whose presence notice was affixed.  (1)Signature of witness	The notice served by me by affixing on
Mobile phone number(if any)  (2)Signature of witness  Name	Signature of server Name  Dated, the20. Designation
Address	
In case the notice is served through the Tahsil, Scal Dated, the20	Countersignature of Mal-Zamadar.  Signature  Name  Designation

16.0

# FORM -V (See rule 6)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

the court of
Case No
Warrant of attachment of movable property
[Under Section 147 (1) (a) of the Madhya Pradesh Land Revenue
Code, 1959]
[Name and office of the person charged with the execution of the warrant]
Whereasson/daughter/wife ofresident, Tahsil, District,
s made default in payment of Rson account of land revenue as per
tails given in Schedule-I, you are hereby ordered to attach the movable
operty as mentioned Schedule-II below and unless the total amount due is
id, to hold the same until further orders of this Court.
You are further ordered to return this warrant on or before the day of, with an endorsement certifying the date on the manner in which it has been executed or why it has not been executed.

# Schedule-I Details of arrears due

# Amount in rupees

1	Village /	Patwari halka	Holding	Pa	articulars of area	ars	Total
	Town	No./Sector	No			•	amount
	201122	No.			· .		due
				Amount of	Cost of	Penalty and	
	u v			arrears	issuing and	interest	
					enforcing		
					process		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			na men me men upper medica en 143 AFAR				

# Schedule-II Details of movable property attached

1		
2		
SEAL		Tahsildar
Dated	•••••	

# FORM-VI

(See rule 6)

The	Madhya	Pradesh	Bhu-Rajasva	Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki	Ugahi) Niyam,
		•		2020			

In the court of.	***************************************	
		Case No
		•
•	Proclamation of sale of movable	
[under Section	n 147 (1) (a)of the Madhya Pradesh	Land Revenue Code, 193
recovery of on of proceeding	ovable property specified below has account of arrear of land revenue, per duc byson/daughters	nalty, interest and cost
Proclam before the day public auction	sil	perty shall be sold by20, at or about
Proclam before the day	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said pro	perty shall be sold by
Proclam before the day public auction o'clock:-	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said pro aton the day of	perty shall be sold by20, at or about
Proclam before the day public auction o'clock:-  S. No.	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said pro aton the day of	perty shall be sold by20, at or about Number of articles
Proclam before the day public auction o'clock:-  S. No.	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said pro aton the day of	perty shall be sold by20, at or about Number of articles
Proclam before the day public auction o'clock:-  S. No.	ation is hereby made that unless the herein fixed for the sale, the said pro aton the day of	nperty shall be sold by20, at or about Number of articles

# FORM -VII (See rule 7)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

In the court of						
In the court			Case No			
		adimmovable prope	rtv			

Attachment of holding/immovable property
[Under sections 147 (1) (b), 147 (1) (bb), 147 (1) (bbb) and 147 (1) (c) of
the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

Whereas	so	n/daughter/wifeof	resident
of	Tahsil	District	
has made default in pay	ment of Rs	on account of	due by him
as per details given in S	chedule-I		

# Schedule-I Details of arrears due

#### Amount in rupees

Village / Town	Patwari halka No./Sector No.	Holding No	Pa	Total amount due		
			Amount of arrears	Cost of issuing and enforcing process	Penalty and interest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					mohy, prob	<u> </u>

It is ordered that the said ......be and is hereby prohibited and restrained, until further order of this Court from transferring or charging the property specified in the following schedule by sale, gift or otherwise and all persons be and hereby in like manner prohibited from receiving same by purchase, gift or otherwise:-

# Schedule -II (Description of immovable property)

	(2505	<b>5.1.10 1.1.1</b>	•			
1 2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		••			
Issued	under mv l	nand and seal	of this Cou	rt thisD	ay of	
75565	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••					
SEAL				Tahsildar		
Dated						•

#### FORM-VIII (See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki	i Ugahi)
Niyam, 2020	

In the court of	***************************************
	Case No
Proclamation	of letting of holding
	nd 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh
Land Re	evenue Code, 1959]
the recovery of the arrears of land	fied below has (have) been attached for revenue specified in column (6) and of issuing and enforcing process due ofresident
before the day hereby fixed for the least a period ofagricultural years free (them) and all grants and contracts	e that unless the amount due be paid etting, the said holding (s) shall be let for the from all encumbrances imposed on it made in respect of it (them), by public on the day of
	Amount in rupees

Village/Town	Patwari halka No./ Sector No.	Holding Number	Area (in hectare)	Assessment	Arrears
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
/					

- Note. -1. Arrears of land revenue due on each holding must be separately specified in column (6).
  - 2. If a holding consists of more than one survey number or subdivision it would be open to the officer conducting the lease to lease one or more of such number as may be considered necessary to recover the arrears.

The letting of holding shall be subject to the following terms and conditions: -

- (i) Only "landless persons" as defined in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and the rules framed thereunder, shall be eligible to bid at the auction.
- (ii) The lessee shall not transfer any right in his land or part thereof by sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise and if any such transfer is made, it shall be void.
- (iii) The lessee shall use the land only for agricultural purposes.
- (iv) The lessee shall pay the full assessment of the land during the period of his lease.
- (v) The lessee shall not make any construction of a permanent nature on the land or part thereof.
- (vi) The lessee shall not be entitled to claim any compensation for expenditure incurred by him in connection with improvement in land affected by him during the period of the lease.
- (vii) The lessee shall pay the entire amount of bid money immediately after the auction is knocked down in his favor or he may pay immediately at least 1/4th of the bid money and the rest of the amount shall be paid by him within 15 days of the date of auction.
- (viii) If the remaining amount is not paid by the lessee within the specified period the amount of bid money already deposited shall be forfeited and the auction shall be held afresh.
- (ix) It shall be at the discretion of the Tahsildar to accept the highest bid or not and to lease out the land.
- (x) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.

SEAL		Tahsildar
SEAL		
Dated	* *	
Dateu		

#### **FORM-IX**

(See rule 8)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Case	No.	
Case	110	**********

#### Lease Deed

[Under section 147 (1) (bb) and 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

							the second second
-	This	temporary tahsil	lease	of	land	in	village/town
	more pa	rticularly speci	fied in th	e sche	dule anne	exed is	given by the
Tah	ısildar						of
tahs	sil		distric	t	to	son/	daughter/wife
of.		resident of	distr	ict, (wl	no is here	inafter i	referred to as
less	see) on the	following term	s and cond	ditions:	<b></b>		
-		e lessee shall ho gricultural year			he agricul	tural ye	arto the
**		e lessee shall us					
		e lessee shall no the land or part		ny cons	struction	of a per	manent nature
	ex	ne lessee shall rependiture incurrence incurrence has been desired by the second secon	red by hi	m in co	onnection	with in	ipensation for ipprovement in
	(5) Th	ne lessee shall evenue year follo	pay the forming the	full ass date of	essment lease.	of the l	and from the
	(6) Th	e lessee shall no ale, gift, mortg	ot transfer age, sub-	any rig lease o	ht in his lor otherw	land or prise and	part thereof by if any such

transfer is made, it shall be void.

- (7) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.
- (8) If the lessee does not pay the land revenue on the specified date or commits a breach of any of the conditions specified above, the Tahsildar may enter the land and take possession of the land along with the standing crops (if any) and the Tahsildar shall not be liable to pay any damages or compensation in this regard.

#### Schedule

Village/Town	Patwari Halka No./Sector No.	Survey No.	Area of land leased out	Assessment	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Granted thi	s day of	20				
						Tahsildar
Witness						
1	•••••					
2	******					
I have abide by the	read and unde	erstand the con	nditions	s specifie	d above and	agree to
Witness						
1		•••				
2	••••••	••••				

Signature of Lessee

#### FORM-X (See rule 9)

The Madhya Pradesh	Bhu-Rajasva Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki	Ugahi)	Niyam,
	2020				

		2020			
the court of				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	******
				Case No	
	Proclama	tion of sale	e of holding		
covery of the arrecount of cost of cos	holding (s) spectars of land reversissuing and enformation, Tahs	ecified belonue specific orcing processis Dis	ow has (haved in column ess due by trict	e) been attack  (6) and of Rs son/daug  nt due be paid	hter/wife
cumbrances imp	osed on it (them	) and all gr	ants and cor	ntracts made i	n respect
cumbrances importance (them) by public out	osed on it (them at	) and all gr	ants and cor	ntracts made i20	n respect
cumbrances imposite (them) by public out	osed on it (them c auction at	) and all gr on th	ants and cor	ntracts made i	n respect
cumbrances imposite (them) by public	osed on it (them c auction at 'clock.  Patwari Halka	) and all gr on the	ants and cor	Amount	in rupe
cumbrances imposite (them) by public out	osed on it (them c auction at	) and all gr on th	ants and conne day of  Area (in	Amount	in rupe
cumbrances imposite (them) by public out	osed on it (them c auction at 'clock.  Patwari Halka No./Sector No.	Holding Number (3)	Area (in hectare)	Amount Assessment (5)	in rupe Arrears  (6)

#### FORM-XI

(See rule 9)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

			Case No
Whei he reco	r Section 147 (1)  reas the immovable very of Rs.	Code, 1959)  c property described on account	below has been attached for
Process. Proceated before bublic auction The	lamation is hereby the day herein fix on at on the sale extends only	y made that unless the sale, the sale day of 20, at or	of issuing and enforcing the total amount aforesaid be aid property shall be sold by aboutO'clock. interest of the said defaulter
n the said p			
	noperty.	Details of property	
S. No.	Description	Assessment (if any) (in rupees)	Note of any known encumbrances, etc.
S. No.		Assessment (if any)	Note of any known

## FORM-XII (See rule 10)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki	Ugahi)
Niyam, 2020	•		

the court of		**********************	Case	
		ertificate for land	d	•
[Under Sec	ction 147 (1) (b) o	of the Madhya P	radesh Land	d Revenue
		Code, 1959]		
llage	y that	tricthas	been declare	d the purchaser
aumhmanaan is	e transferred the	11 4	mtmooto made	magnage of it
any person of	ther than the purch	naser:	Area	Assessment
any person of				
any person of	her than the purch	naser:	Area	Assessment
any person of	Patwari halka No./Sector No.	Holding Number	Area (in hectare)	Assessment (in rupees)
vany person of Village/l'own  (1)  Details of	Patwari halka No./Sector No. (2) Survey Nos./Block Nos. comprising the	Holding Number (3) Name of re	Area (in hectare) (4)	Assessment (in rupees) (5)
v any person of Village/Town  (1)  Details of	Patwari halka No./Sector No. (2)  Survey Nos./Block	Holding Number (3) Name of re	Area (in hectare) (4)	Assessment (in rupees) (5)  Amount for which purchased

## FORM-XIII (See rule 10)

The	Madhya	Pradesh	Bhu-Rajasva	Sanhita	(Bhu-Rajasva	ki	Ugahi)
	,		Niyam,	2020			•

	ourt of				
II CALC C				Case	No
		\$ 1			
	Sale	certificate	of Immov	able property	
[U)				ya Pradesh Land	Revenue
			Code, 1959]	* · •.	
e To the second	•				
T	his is to cert	tify that		son/daughter/wife	e of,
esident	of village		Tahsil	, District	has
een de	clared the pur	rchaser of th	ne immovabl	e property specifi	ed below at a
ale by r	oublic auction	held on the	day of	20	
				•	C
Janah a			3 Al	an macht title on	id interpet At
				ne right, title an	
				ne right, title and in the said propert	
		ter/wife of		in the said propert	
		ter/wife of		in the said propert	
		ter/wife of		in the said propert	y:
<b>7</b> 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	son/daught	ter/wife of  Deta	ils of prope	rty  Name of recorded owner/	Amount for which purchased
	son/daught	ter/wife of  Deta  Place	ils of prope	in the said propert	y:  Amount for which
******	son/daught	Deta  Place (where the	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami	Amount for which purchased (in rupees)
	son/daught	Deta  Place (where the property is	Assessment (if any)	rty  Name of recorded owner/	Amount for which
S. No.	son/daught	Deta  Place (where the property is situated)	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami	Amount for which purchased (in rupees)
S. No.	son/daught	Deta  Place (where the property is situated)	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami	Amount for which purchased (in rupees)
S. No.	son/daught	Deta  Place (where the property is situated)	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami	Amount for which purchased (in rupees)
S. No.	Description (2)	Deta  Place (where the property is situated)	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami	Amount for which purchased (in rupees)
S. No.	Description (2)	Deta  Place (where the property is situated)	Assessment (if any) (in rupees)	rty  Name of recorded owner/ Bhumiswami  (5)	Amount for which purchased (in rupees)

# FORM-XIV (See rule 12)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

In the court of
Case No
Warrant of attachment of bank account / bank locker [Under section 147 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]
То
[Name and office of the person charged with the execution of the warrant]
Whereasson/daughter/wife ofresidentof
Tahsil, District, has made default in
Schedule-I You are hereby ordered to attach the bank account/bank locker of
the said person as per the details given in Schedule-II and unless the total
amount due is paid to hold the same until further orders from this Court. This
order restrains you from opening another bank account or bank locker of such
person.
1. A hofore the
You are further ordered to return this warrant on or before the
day of, with an endorsement certifying the date or
and the manner in which it has been executed or why it has not beer
executed:-

#### Schedule-I Particulars of the arrears due

Amount in rupees

(1) (2) (3) (4)	Amount of arears	Cost of issuing and enforcing process	Penalty and interest (if any)	Total amount due
	(1)	(2)	(3)	(4)

Schedule-II	
1. Details of Bank Lockers	••••
2. Details of Bank Account No	
SEAL	Tahsildar
Dated	

# FORM - XV

(See Rule 13)

Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisional	Case No
***************************************	
Vs.	
***************************************	Notice
[Under section 147 (3) of the M	Iadhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]
To,	
Whereas, you have remai	ned in default of payment of land revenue
amounting to Rs.  Notice of demand No  Tahsildar, Tahsil, d	(Rupees) inspite of the
Notice of demand No	(Rupees) inspite of the
Notice of demand No	(Rupees) inspite of the
Notice of demand No	(Rupees) inspite of the dated served on you by the istrict
Notice of demand No	(Rupees) inspite of the

#### FORM - XVI (See Rule 13)

The Madhya Pradesh Blu-Rajasya C In the Court of Sub-Divisional Officer	Case	no	/ 20
Applicant			
Versus			
Non applicant	· .	_	
AKT A YOU'S	NT OF ARRES	T	ul - Madhya Dradesh
[Issued in exercise of powers under sub-	section (3) of se	ction 14/01	the Madifya I ladesh
Land Revenue Co	de, 1959 (No. 20	of 1939)]	
То			
***************************************			
	La into ovecute (	he warrant)	
(Name and designation of the person w	no is to execute		doughter / wife of
WHEREAS	(name of warar	tee) son /	(full
address) has remained in default of	payment of I	Motice of	demand No
address) has remained in default of	) inspite of	Tahsil	district
cerved on him / her by 1	alistical	, , , ,	·
	Inome of wara	ntee i was c	aned abou to abbear
by notice (	dated and	I snow cause	as to way are base
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	HHG: III ACDOST or	C Courter Constitution	
	had failed t	n annear oc	Ole ima comicon m.
And whereas, the said day specified in the said notice and also	o continued to re	main in deta	uit of payment of the
'A management'	•		•
	hereby ordered	to arrest 1	he said
and bring him /	her before this	Court with	all collinguation -
1 La / aha hande over to vou DIOO!	Of Having bare .		,
c a - damad	to roturn this Wa	rrant on of t	)61016 mic and
You are further ordered 20 with an endorsement certifying	e the day on and	the manner	in which it has been
executed or the reason why it has not be	cen executed.		•
			20
Given under my hand and the seal of the	ne Court, this	day of	20
Given under my		•	
SEAL		0 1 TY	vision
Dated, the		2nd-171/	191011

### FORM - XVII (See Rule 13)

# The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

In the Court of Sub-Divisio			Case No
Vs.			
<b>7.0.</b>			
War	rrant of comm	ittal to Jail	
[Under section 147 (3) of the	he Madhya Pr	adesh Land	Revenue Code, 1959]
Tryinger Beessess ( )			
To,			
The Officer –in-charge o	of the Jail at		
amounting to Rs	(Rupees	served ;	on min , no. ey sa
vide Notice No	dated	;	ar before this Court on
satisfied this Court as to whon this account;	ny he / she sho	ula not be co	
imprisoned therein for a to (both days inclusive	period of e).	e civil pris	will effect from
Given under my h	nand and the	seal of th	e Court, this day of
OD AY		Sub-D	oivisional Officer
SEAL			Division
Date		Distri	ct

## FORM - XVIII

(See Rule 13)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

In t	e Court of Sub-Divisional Officer
V 4.	Case No
Vs.	
	Order for Release
[Un	er section 147 (5) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]
To,	The Officer –in-charge of the Jail at  Under order passed this day, you are hereby directed to set now in your custody unless he is liable to be detained for
	other cause.
•••••	Given under my hand and the seal of the Court, this day of
	Date
	Sub-Divisional Officer, Sub-Division District

#### FORM - XIX

(See Rule 14)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

Application for recovery of sums as an arrear of land revenue [Under section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

It has been decided that the following sums should be recovered as an arrear of land revenue, details of which are given below. Kindly recover these as an arrear of land revenue and deposit in the account head mentioned below at item no. 7 below: -  1. Name of the Department/ the Competent Authority	To,	
arrear of land revenue, details of which are given below. Kindly recover these as an arrear of land revenue and deposit in the account head mentioned below at item no. 7 below: -  1. Name of the Department/ the Competent Authority to whom the sum is due  2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	The Tahsildar/ Revenue Officer	
arrear of land revenue, details of which are given below. Kindly recover these as an arrear of land revenue and deposit in the account head mentioned below at item no. 7 below: -  1. Name of the Department/ the Competent Authority to whom the sum is due  2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name		
to whom the sum is due  2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	arrear of land revenue, details of which are given below. as an arrear of land revenue and deposit in the account h	Kindly recover these
to whom the sum is due  2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	1. Name of the Department/ the Competent Authority	
address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	to whom the sum is due	
address from whom the sums are due  3. The particulars of sums due  4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	2. Name of the person, father's name and full	
4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue  5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	address from whom the sums are due	
5. The process by which the sum may be recovered  6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	3. The particulars of sums due	
5. The process by which the sum may be recovered 6. Description of the property against which the process may be executed 7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery 8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	4. The provision of law under which the sums are	
6. Description of the property against which the process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	recoverable as an arrear of land revenue	
process may be executed  7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	5. The process by which the sum may be recovered	
7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name		
deposited after recovery  8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name	process may be executed	
8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority Name		
(d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case  may be has been attached?  SEAL  Signature of Competent Authority  Name	deposited after recovery	And the state of t
SEAL Signature of Competent Authority Name	8. Whether the certificate required under clause	
SEAL Signature of Competent Authority Name	(d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case	
Date Name	may be has been attached?	The second secon
	Date Name	****

## Receipt/Acknowledgment

То			* *					
<b>-</b>		•						
			to the					٠.
************								
							mauntir	a runee
The appl	ication submitt	ed ab	ove to	or reco	very of	sums a	mounui.	ig rupec:
from	****	is h	ereby	ackno	wledge	ed.		
•			÷					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SEAL						•		
Date:	•		.*	. *	•			
Datt					Tahei	ldar/Rev	enne O	fficer
					1 ansı	IGUI/ ICC V	·	
					••••			•••••

# FORM - XX (See Rule 15)

The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020

# Application Form for reduction of land revenue

[Under section 161(2)of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

1 11 / 6.11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1. Applicant's name and address (give full	
name).	
2. Mother's/Father's/Husband's name	
3. Full address	
(Including Mobile Phone No.)	
4. Description of land	
(1) Holding No.	
(2) Survey No.	
(3) Area	
(4) Land revenue	At the second
(5) Name of the Village (where land is	
situated)	
(6) Patwari Halka No./Sector No.	
(7) TahsilDistrict	
5. Grounds on which reduction in land revenue is	•
sought	
Sought	

Dated.....Signature of the applicant

## Documents to be attached-

- 1. Copy of Record of Rights or latest Jamabandi of the holding
- 2. Relevant entries in the Nistar Patrak or Village Wajib-ul-arz, as the case may be
- 3. Survey Numbers of irrigated land with source of irrigation
- 4. Any other relevant documents

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.